

उपरोक्त आवास एवं विकास परिषाद, 104-प्रहलदा गणेशी मार्ग,
लॉन्डन पर दिनांक 2-3-90 को हुई प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 2-3-90 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री शरम्भू नाडर		अध्यक्ष
2- श्री अनित कुमार	आवास आयुक्त	सदस्य
3- श्री हरमिन्दर रान सिंह	नियोजक सचिव, वित्त वित्त सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
4- श्री राजधान सिंह	आवास सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
5- श्री जेपीभागीरथ	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
6- श्री केपी सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न अर्थों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संख्या संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 11-9-89 तथा 20-9-89 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्रथम/113/90	दिनांक 11-9-89 तथा 20-9-89 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	परिषाद की बैठक दिनांक 11-9-89 तथा 20-9-89 को अनुपालन आदेश।	प्रथम/121/90	परिषाद की बैठक दिनांक 11-9-89 तथा 20-9-89 में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से परिषाद को अवगत कराया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषाद निर्णय का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाये।
3-	परिषाद के अति आरिषों/कर्मचारियों को धित्वित्वा प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/131/90	परिषाद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अल्पमत लब्ध की गयी एवं परस्ताव अनुमोदित किया गया। परिषाद ने यह भी संज्ञक दिया कि इन गैर-कर्मचारी द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा लिये जाने का प्रावधान है इस सम्बन्ध में परीक्षण कर लिया जाये।
4-	उपरोक्त आवास एवं विकास परिषाद में सेवाओं में दक्षता अनिश्चित करके लिये अनिवार्य सेवा नियुक्ति हेतु अधिकांश अभियन्ताओं की स्वीकृति हेतु कमेटी के गठन की स्वीकृति।	प्रथम/141/90	परिषाद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से परस्ताव आ अनुमोदन किया गया।
5-	परिषाद के महासचिव सेवाकार पद हेतु समता समिति द्वारा अनुपालन के विवरण।	प्रथम/151/90	परिषाद में विचार-विमर्श के उपरान्त इस परस्ताव को अनुमोदन किया तथा यह निर्णय लिया कि इसे शीघ्र ही अंतिम कर दिया जाये।
6-	विकलांगों, दुर्बि, सुधीनों को सरकारी सेवा में सेवा प्रोत्थित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/161/90	परिषाद में सर्वसम्मति से इस परस्ताव को अनुमोदन किया और यह निर्णय किया कि शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त करके ही पद भरा जायेगा।

1	2	3	4
7- परिषद में कार्यरत मास्त्रियों को परिषद कार्यरत में निजी आयुक्त प्रयोग करने पर वाहन आयुक्त भाला स्थान को जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/173/90	और यदि इसके सामान्य वेतन मान का कोई मत रिक्त हो तो यह पद भरा जा सकता है।	परिषद की 25-2-80 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवीर अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
8- "समता समिति" द्वारा परिषद के अधर अभियन्ताओं को संस्तुत वेतनमान के विरुद्ध अर्द्ध विरसगति समिति को परिषद डिप्लोमा इंजीनियर एल. सि. एन. द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन सहित समिति उपायों को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/181/90	-तदर्थ-	विरदारपूर्वक विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अध्ययन करने हेतु एक समिति गठित कर दी जाये जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
9- उपायों के अन्तर्गत यह विचार परिषद के कार्य प्रभावित करने की सेवाओं हेतु अर्द्ध विरसगति को बनाने जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/191/90	<ol style="list-style-type: none"> 1- श्री जे. पी. भागीव, मुख्य नगर एवं ग्राम निर्माजक 2- श्री राजेश सिंह, संयुक्त सचिव, आवास विभाग। 3- श्री जे. पी. सिंह, अपर आवास अधिकृत एवं सचिव। 4- श्री अशोक कुमार, विधि परामर्शदाता। 5- श्री स. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव वित्त विभाग। 	यह उप समिति अपनी रिपोर्ट जमा करती ही प्रस्तुत करेगी।
10- वृद्धा भोगी कर्मचारियों को वेतनमान में के अर्द्ध के अन्तर्गत के सम्बन्ध में।	प्रथम/1101/90	परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस प्रकार को सेवा आयोग को संदर्भित कर दिया जाये।	
11- अर्द्ध अभियन्ता एवं अर्द्ध अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति में परिषद के एक सदस्य को मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/1111/90	परिषद द्वारा चयन समिति में श्री राजेश सिंह, संयुक्त सचिव आवास विभाग को परिषद के सदस्य है को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त चयन समिति में आवास आयुक्त तथा आवास आयुक्त नामित एक अभियन्ता भी होगी।	
12- परिषद मुख्यालय पर सी. पी. 386 प्रिन्टिग कंप्यूटर स्थापित करने के सम्बन्ध में विमर्श।	प्रथम/1121/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा यह भी प्रस्ताव की गयी कि वर्तमान समय में जो कंप्यूटर प्रयोग किया जा रहा है उसकी उपयोगिता के बारे में अगली बैठक में विमर्श प्रस्तुत की जाये।	

- | | | |
|--|----------------|--|
| 13- बहुहाण्डों पर निर्माण हेतु तसवीबुदिया प्रदान किया जाना। | प्रधाम/1131/90 | परिषद् उपरान्त इस सम्बन्ध में परिषद् ने यह निर्णय लिया कि शासनादेश का परीक्षण करके अगली बैठक में अधिसूचना प्रस्तुत की जाये। |
| 14- परिषद् के हिल्टन लेन योजना में बिजली कर विभाग को आवंटित बहुहाण्डों भवन के विरुद्ध देय टण्ड व्याज की धारणा को माफ करने के सम्बन्ध में। | प्रधाम/1141/90 | परिषद् इस प्रकरण पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में बिजली विभाग को लिखा जाये कि लीज रजिस्ट्री कर दे। तथा परिषद् द्वारा टण्ड व्याज जमा करने के लिये लिखा जाये। |
| 15- परिषद् की योजनाओं में विभाग संस्थाओं को भाग्य प्रद्वेष करने हेतु समिति गठन करने के सम्बन्ध में। | प्रधाम/1151/90 | परिषद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में एक समिति गठित कर दी जाये जिसके निम्नलिखित सदस्य हों:- |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1- आवास आयुक्त। 2- श्री पी.सी.ओ.आर. तयिब, विभाग के प्रतिनिधि। 3- मुख्य वास्तुविद् निधोजक। 4- विशेष सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि। <p>समिति अपनी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत करेगी।</p> |
| 16- लाटरी स्थल पर मानचित्रों की बिजली। | प्रधाम/1161/90 | परिषद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय दिया कि मानचित्रों की बिजली स्थल पर की जाये और उसका मूल्य निर्धारण आवास आयुक्त द्वारा किया जाये। |
| 17- डिफेन्स इम्प्लाइड एसोसिएशन की इन्दिरानगर स्थित सामुदायिक केंद्र को आवंटित करने के सम्बन्ध में। | प्रधाम/1171/90 | परिषद् ने इस प्रकरण पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया और इसे अस्वीकार कर दिया गया। |
| 18- व्यवसायिक सम्पत्तियों के विषय की अनुमति देने के सम्बन्ध में। | प्रधाम/1181/90 | परिषद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को पुनः परीक्षण करके परिषद् के तसवीब प्रस्तुत किया जाये। |
| 19- आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरानगर विद्वतीय विस्तार भाग्य विकास एवं गृहस्थान योजना फैलावाट मार्ग, लखनऊ में स्थित गणकमता के छातरा नं०-263 को अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में। | प्रधाम/1191/90 | परिषद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। |
| 20- परिषद् अधिनियम की धारा-28, 29, 30 के अन्तर्गत आवंटितों की तसवीब हेतु नियोजन समितियों का गठन। | प्रधाम/1201/90 | परिषद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त तसवीब में स्वीकृति प्रदान की। |

1	2	3	4
21-	कोटव्हाड रोड भागि विकास एवं गृहस्थान योजना नं०-1 मजीबाबाद का धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राप्कलन।	पुंथास/1211/90	परिषद में विचार-विमर्श के उपरान्त अंततयाति में स्वीकृति प्रदान की।
22-	अलीगंज रोड भागि विकास एवं गृहस्थान योजना नं०-5 काशीपुर हेतु धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्राप्कलन।	पुंथास/1221/90	-तटैव-
23-	परिषद द्वारा एच०डी०एफ० ली० के स्थान लीन करीड का अणु लिया जाना।	पुंथास/1231/90	-तटैव-
24-	हडको प्रोडिात भागि अर्जन योजना का पीपर नैनीताल के विरुद्ध स्वीकृत अणु को सामान्य शर्तों के तम्बन्ध में।	पुंथास/1241/90	-तटैव-
25-	हडको प्रोडिात भागि अर्जन योजना राष्ट्रीय नगर योजना पटाराअंज रोड तथा विकास नगर योजना नौतनवा रोड गौरगापुर के विरुद्ध स्वीकृत अणु को सामान्य शर्तों के तम्बन्ध में।	पुंथास/1251/90	-तटैव-
26-	हडको प्रोडिात-3 योजनाओं में रूंकृत अणु को शर्तों के तम्बन्ध में।	पुंथास/1261/90	-तटैव-
27-	24वीं हडको मिश्रित आवासीय योजना तैक्टर-6 तिकन्तरा आगरा इस्कीम नं०-6964 में स्वीकृत अणु को शर्तों के तम्बन्ध में।	पुंथास/1271/90	-तटैव-
28-	गजियाबाद के तीन योजनाओं को भागि अर्जन करने हेतु हडको से अणु लेने के तम्बन्ध में।	पुंथास/1281/90	-तटैव-
29-	हडको प्रोडिात-2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों पर अणु प्राप्त करने के तम्बन्ध में।	पुंथास/1291/90	-तटैव-
30-	अलन्दाहर की दो योजनाओं की भागि अर्जन करने हेतु हडको प्रदार्थ स्वीकृत अणु को सामान्य शर्तों के तम्बन्ध में।	पुंथास/1301/90	-तटैव-
31-	हडको वित्त प्रोडिात भागि अर्जन योजना मेनपुरी इस्कीम नं०-6987।	पुंथास/1311/90	-तटैव-
32-	हडको वित्त प्रोडिात भागि अर्जन योजना शतौली मुखबरनगर इस्कीम नं०-6993।	पुंथास/1321/90	-तटैव-
33-	हडको वित्त प्रोडिात भागि अर्जन योजना दमटभा कीठी पुरादाबाद इस्कीम नं०-6988।	पुंथास/1331/90	-तटैव-
34-	हडको वित्त प्रोडिात भागि अर्जन योजना फरिशाबाद कीठी नं०-1, 30व० इस्कीम नं०-6989।	पुंथास/1341/90	-तटैव-

1	2	3	4
35- *क्षारवाडी क्षेत्र में मण्डल * वडी एवं रामपुर में तुकनों की प्रशासनिक स्वीकृति।	प्रधाम/1354/90	परिषद की क्र. 1980 की प्रधाम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गए निर्णय के अनुसार इस पामले में अध्यक्ष एवं जवाब आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।	
36- इन्दिरानगर विस्तार योजना * लखनऊ के सेक्टर-10 में 34 डी आयुक्त/समय स्थित प्लॉट 193/ 176 तैमी फ्लिड भावनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्णय करने के सम्बन्ध में।	प्रधाम/1361/90	परिषद की क्र. 1980 की प्रधाम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिया गया निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं जवाब आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।	
37- समय विहार योजना सं-2 हावुड * में 67 नम 25/60 प्रकार के अल्प आयुक्त एवं 42 नम 19/42 प्रकार के अल्प आयुक्त भावनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रधाम/1371/90	-तटैव-	
38- लखनऊ में मण्डल एवं भावनों एवं * लखनऊ में डीआयुक्त निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्णय करने के सम्बन्ध में।	प्रधाम/1381/90	-तटैव-	
39- इन्दिरानगर विस्तार योजना * लखनऊ के सेक्टर-11 में हावुड-11 प्रकार के भावनों का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्णय करने के सम्बन्ध में।	प्रधाम/1391/90	-तटैव-	
40- तिकन्टरा योजना में जलपति * की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु नलकडों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	प्रधाम/1401/90	-तटैव-	
41-1- रामपुर योजना सं-2 में * डिपॉजिट कार्य के अन्तर्गत जिला-लखी रामपुर के अधिकांशियां हेतु 6 नम 93/176 प्रकार के भावनों	प्रधाम/141/90	-तटैव-	
41-2- रामपुर योजना सं-2 में 50 * नम मण्डल-53/127 प्रकार के भावनों का निर्माण के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।			
42- इन्दिरानगर विस्तार योजना * लखनऊ के सेक्टर-12 में 23 आयुक्त आयुक्त 29/60 प्रकार के भावनों 50 डीआयुक्त 12/24 प्रकार के भावनों तथा 45 डीआयुक्त 13/25 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रधाम/1421/90	-तटैव-	

1	2	3	4
43- बहुमंथारा योजना सं०-3 गाजि- परिषद में सं०-51 प्रकार के टाइप "ए" तथा टाइप "बी" एवं सं० 31 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1431/90		-तदैव-
44- योजना सं०-2 कानपुर में 8वीं एवं 10वीं एवं 12वीं हडकी परियोजना के अन्तर्गत कुमायः 315, 540 एवं 576 म ² 14/24 प्रकार के 1831 नम. दुआओवओ भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	पुथाम/1441/90		परिषद की कां०-1980 की पुथाम बैठक दि० 25-2-80 में लिखे गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है। इसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
45- योजना सं०-2 रामपुर में अल्प आय वर्ग भावनों की पेशी-हित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1451/90		-तदैव-
46- योजना सं०-2 रामपुर में स्वयं वित्त पोषित योजना-88 के अन्तर्गत टाइप-1 एवं टाइप-11 भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1461/90		-तदैव-
47- योजना सं०-1 एवं योजना सं०-2 कानपुर में मओओवओ उओओवओ भावनों की प्रशासनिक एवं उओओवओ व की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1471/90		-तदैव-
48- मेरठ में उओओवओ एवं कां०पीपर में दुओओवओ भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1481/90		-तदैव-
49- आगरा अधारा रोड योजना सं०-9 झुलीगढ़ में 12 मओओवओ भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1491/90		-तदैव-
50- परिषद की समतानगर योजना आगरा के सेक्टर-11 व 12 में निर्मित 102 उच्च आय वर्ग तथा सेक्टर सं० के अन्तर्गत निर्मित 1 मंजिले दुओओवओ के भावनों के व्याप्त अधिकारों के सम्बन्ध में।	पुथाम/1501/90	इस विषय पर परिषद ने मुनीरुल्ला से विचार किया और निर्णय लिया कि इस मामले में जो व्यक्ति उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आवास अधिकृत द्वारा भी सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।	
51- विकास कार्ड का दरों में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में।	पुथाम/1511/90	परिषद ने विचार विचार के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।	

1	2	3	4
52- मन्त्रिवाक्य बन्धारा योजना की सीकेज व्यवस्था के सम्बन्ध में।	पृथम/1521/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि आवास आयुक्त, उद्यम नगर एवं ग्राम नियोजक से वाता काके इस विषय में एक बैठक बुलाई जिसमें जी०डी०ए०जन नियम एवं एन०सी०आर० के प्लानिंग बोर्ड के सदस्य श्री जी०एन०तिहाजी आमन्त्रित करके निर्णय ले और फिर परिषद को अवगत कराये।	
53- कृषि श्रेणी कर्मचारियों को टिप्पे जी रहे स्थानीय भासा की पानराणि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।	पृथम/1531/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।	
54- समता समिति द्वारा परिषद में केतनमान रु० 335-495 के पट धारकों को संस्तुत किये गये केतनमान में वितरित।	पृथम/1541/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया और निर्णय लिया कि इसे शासन को संदर्भित कर दिया जाय।	
55- परिषद के वलिय डिजीजन एवं वल्ल कार्यालयों में तैनात सभकों की विरुद्ध शारीर भासा दिये जाने के सम्बन्ध में।	पृथम/1551/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्देशा दिये कि इस एकरणा जो शासन को संदर्भित कर दिया जाये और शासन से अनुमति प्राप्त होने पर ही लागू किया जाये।	
56- काज्य सेवा प्रतिनियुक्ति पर गये परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों का संवितरण।	पृथम/1561/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।	
57- तात्कालिक उपक्रमों के सम्बन्ध में गठित समता समिति की संस्तुतियों को दि० 1-1-86 से लागू करने के सम्बन्ध में।	पृथम/1571/90	-तदैव-	
58- उ०ए०आवास एवं विभाज परिषद के विभाजन एटों हेतु केतनमानों की विलगति को तैर करने छटे पटों का समावेश करने एवं पुनरीक्षित केतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिप्यणी।	पृथम/1581/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की और मामले को शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया।	
59- परिषद सम्पत्तियों के विक्रय पर लाभाई न लिये जाने के सम्बन्ध में।	पृथम/1591/90	इस प्रस्ताव पर परिषद ने विचार-विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि शासनादेशा न०-6795/1/11-5-86 नगर विकास अनुभाग-5 दि० 23-10-86 एवं दिनांक 31-8-88 के अनुसार कार्यवाही किया जाए तयों तदनुसार नियमों में यथासंभव संशोधन किया जाय।	
60- श्री भवान पताम दिष्ट, भातपर्व सतद सदस्य एवं विभाजन सभा सदस्य को यो०स०-५ बरेली में निर्मित 9 उच्च आय वर्ग भातनों में से भातल का एक भावन आवंटित करने के सम्बन्ध में।	पृथम/1601/90	-स्थापित-	

